

कार्यालय आयुक्त, पटना प्रमण्डल-सह-निर्वाचक निबंधन
पदाधिकारी, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

अनुलग्नक-क-1

भारत निर्वाचन आयोग

बिहार विधान परिषद के 01-पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(4) के अन्तर्गत नोटिस

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(4) के अनुसरण में (1) पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दिनांक-01.10.2019 के अपने नोटिस के द्वारा ऊपर उल्लिखित सम्बन्धित स्नातक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की थी कि वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के साथ संलग्न रूप में प्रकाशित और (1) हिन्दुस्तान एवं (2) दैनिक भास्कर समाचार पत्रों के दिनांक के संस्करण में उक्त नोटिस की दूसरी अनुसूची में पुनः प्रकाशित फार्म 18 में अपना आवेदन 06.11.2019 तक या उससे पहले उनके कार्यालय में भेज दें या उन्हें सुपुर्द कर दें।

उपर्युक्त सभी व्यक्ति फार्म 18 में अपने आवेदन 06.11.2019 तक या उससे पहले जमा करवा दें, यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

उक्त विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, पटना की शासकीय वेबसाइट www.ceo Bihar.nic.in पर भी उपलब्ध है।

Lian
22/10
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी,
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।